# उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून।

उत्तराखण्ड जैवविविधता बोर्ड
UTTARAKHAND BIODIVERSITY BOARD

ई–मेल : sbbuttarakhand@gmail.com
वेबसाइट : www.sbb.uk.gov.in

108 / II, वसन्त विहार, देहरादून–248006
उत्तराखण्ड, (टेलीफैक्स - 0135-2769886)

पत्रांक 413 /जै0वि0बो0 – 30 - 29 दिनांक 17, मई, 2012

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

विषय :– दिनांक 22.05.2012 को अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के उपलक्ष में आयोजित कार्यक्रम।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि दिनांक 22.05.2012 को अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया गया है, तथा इस वर्ष 2012 के लिये थीम–'**समुद्री जैव विविधता**' (**Marine Biodiversity**) रखा गया है, परन्तु उत्तराखण्ड के भौगिलिक क्षेत्र में कही भी समुद्री स्थल उपलब्ध नहीं हैं। अतः उत्तराखण्ड परीक्षेत्र के लिए थीम–'**जलीय जैव विविधता**' (**Aquatic Biodiversity**) रखी गयी है, जिसकी अनुमति राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) द्वारा दी जा चुकी है। दिनांक 22.05.2012 को अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के समस्त 13 जनपदों में कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है, एवं राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम देहरादून में आयोजित किया जा रहा है। दिनांक 22.05.2012 को मालसी डियर पार्क देहरादून स्थित सरकारी तथा गैर सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के द्वारा पेंटिंग प्रतिस्पर्धा तथा निबंध प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया जायेगा एवं इन दोनों प्रतियोगिताओं के परिणाम स्वरूप प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को दिनांक 22.05.2012 को देहरादून में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में माननीय मुख्य अतिथि के करकमलों द्वारा पुरस्कार वितरित किये जायेंगे। इस कार्यक्रम को आयोजित करने हेतु वित्तीय सहायता राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) द्वारा प्रदान की गयी है, तथा आयोजन वन विभाग उत्तराखण्ड एवं एफ0आर0आई0, देहरादून के सहयोग से किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम एफ0आर0आई0, देहरादून के Convocation Hall में प्रस्तावित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि दिनांक 22.05.12 को अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के उपलक्ष में एफ0आर0आई0, देहरादून Convocation Hall में आयोजित कार्यक्रम हेतु महामहिम श्री राज्यपाल जी, उत्तराखण्ड के अतिव्यस्तम् समय में से इस कार्यक्रम हेतु समय दिलाने की कृपा करें, ताकि उनके मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम सम्पन्न हो सके। ज्ञात्तव है कि यह कार्यक्रम लगभग 2:00 घण्टे का होगा। कार्यक्रम से सम्बन्धित आधारभूत सूचना (Back ground Information) संलग्न है।

संलग्न–आधारभूत सूचना।

भवदीय,

16/5/12

(डा0 राकेश शाह)
सदस्य–सचिव,
उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड
देहरादून।

उत्तराखण्ड जैवविविधता बोर्ड
UTTARAKHAND BIODIVERSITY BOARD

XI Conference of Parties
CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY
HYDERABAD INDIA 2012

22 May 2012
INTERNATIONAL DAY
FOR BIOLOGICAL DIVERSITY
Marine Biodiversity

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण
National Biodiversity Authority, India
2003

# अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस – 22 मई, 2012 को उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा आयोजित कार्यक्रम हेतु आधारभूत सूचना

## विषय (Theme) : जलीय जैव विविधता (Aquatic Biodiversity)

विगत समय में जनसंख्या वृद्धि एवं इसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक जैव संसाधनों के अधिकाधिक विदोहन के कारण प्रजातियों के विलुप्त होने की तीव्रता को देखते हुए, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर **"जैव विविधता संरक्षण"** के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए सन् 1992 में **"रियो द जनेरो"** में एवं **"अन्तरराष्ट्रीय जैव विविधता सम्मेलन" (Convention on Biological Diversity – सी.बी.डी.)** आयोजित किया गया जिसमें **भारत** सहित **193 देशों** ने एक संधि पर हस्ताक्षर किये – इसी क्रम में वर्ष 1993 से इस सम्मेलन के तत्वाधीन प्रत्येक वर्ष 22 मई, **"अन्तरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस"** के रूप में मानाया जाता है।

सी.बी.डी (Convention on Biological Diversity) के मुख्य तीन उद्देश्य थे – **"जैव विविधता संरक्षण", "इसके घटको का सतत उपयोग"** और **"इन संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का निष्पक्ष और साम्ययुक्त विभाजन"**।

इस महत्वपूर्ण विषय पर सम्पूर्ण विश्व के जनमानस का ध्यान आकृष्ट करने तथा इस क्षेत्र में सदस्य देशों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का मूल्यांकन करने हेतु वर्ष 2010 को **"अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष"** के रूप में मनाया गया और इस दौरान स्थान–स्थान पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गये। अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष में लोगों द्वारा ली गयी रूचि को ध्यान में रखते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2011 से वर्ष 2020 तक सम्पूर्ण विश्व में **"अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दशक"** के रूप में मनाया जायेगा और सी0बी0डी0 के तीन मूल–भूत उद्देश्यों की प्राप्ति में गुणात्मक प्रगति लाने का प्रयास किया जाए। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सी0बी0डी0 के सदस्य देशों का 11वाँ सम्मेलन (Conference of Parties-CoP-11) का आयोजन **भारत में (हैदराबाद में) अक्टूबर, 2012** में होने जा रहा है जिसमें **193 देशों** के प्रतिनिधि व अनेक विशेषज्ञ व विचारक भाग लेंगे।

भारत में सी.बी.डी. के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए नामित एजेंसी "**केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय**" है। इस मंत्रालय ने वर्ष 1999 में मेक्रो – स्तर पर जैव विविधता संरक्षण के लिए रणनीति विकसित की तथा वर्ष 2002 में जैव – विविधता अधिनियम अधिनियमित किया। इसके बाद वर्ष 2004 में इसके नियम बनाए गये। जैव विविधता अधिनियम–2002 के तहत केन्द्र के स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता परिषद (National Biodiversity Authority) जिसका मुख्यालय चैन्नई में है का गठन किया गया है। इसी अधिनियम के अन्तरगत प्रत्येक राज्य में "**राज्य जैव विविधता बोर्ड**" का गठन किया जाना है। "**उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड**" का गठन भी इसी क्रम में उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया गया है। इसी अधिनियम में स्थानीय निकाय ( जिसमें कि चुने गये प्रतिनिधि होते हैं ) स्तर पर '**जैव विविधता प्रबन्ध समिति**' **(Bio diversity Management Committee)** गठित कर उन्हें जैविक सम्पदा की सुरक्षा एवं उपयोग करने का उत्तरदायित्व सौपा जाना है।

इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस में विचारणीय विषय (Theme) :– "**समुद्री जैव विविधता, (Marine Biodiversity)** है। उत्तराखण्ड में समुद्री क्षेत्र नहीं है, इसलिए उत्तराखण्ड के लिए इस वर्ष का थीम **(Theme)** "**जलीय जैव विविधता (Aquatic Biodiversity)**" रखा गया है। जैव विविधता दिवस 22 मई 2012 को जैव विविधता विशेषकर, **जलीय जैव विविधता** के महत्व व उसके संरक्षण के लिए जगरूकता लाने हेतु प्रदेश के मुख्यालय देहरादून में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उनमें निम्न मुख्य हैं :–

1. दिनांक 20 मई 2012 को मालसी डियर पार्क में स्कूल के विद्यार्थियों की चित्रकला एवं निबन्ध लेखन प्रतियोगिता।
2. दिनांक 22 मई 2012 को प्रेस कान्फ्रेन्स।
3. दिनांक 22 मई 2012 को "जलीय जैव विविधता" पर राज्य स्तरीय गोष्ठी, जिसमें उत्तराखण्ड की जलीय जैव विविधता पर विशेष प्रस्तुतिकरण होगा।

इस अवसर पर देहरादून स्थित विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ–साथ विद्यालयों के शिक्षक व विद्यार्थी तथा **समिपवर्ती** निकायों के अध्यक्ष/सभापति/सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया हैं।

दिनांक 22 मई 2012 को मालसी डियर पार्क में स्कूल के विद्याथिर्ययों के लिए निःशुल्क प्रवेश दिया जायेगा तथा पार्क में जैव विविधता से सम्बन्धित कुछ **सांस्कृतिक** कार्यक्रम भी आयोजित किए जायेंगे।

इसके अतिरिक्त इसी दिन उत्तराखण्ड के अन्य 12 जनपदों के मुख्यालयों में भी जैव विविधता की महत्ता के प्रति जनमानस को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहें हैं।

## जैव विविधता अधिनियम–2002 के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु :–

(1) यह अधिनियम जैव विविधता के संरक्षण, उसके अवयवों के पौषणीय उपयोग और जैव संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से प्राप्त फायदों में उचित और साम्यपूर्ण हिस्सा बंटाने और उससे संबन्धित या उसके अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने से सम्बन्धित है।

इस अधिनियम के दायरे में मनुष्य को छोड़ कर सभी जीव अर्थात वनस्पति, जन्तु, सूक्ष्म जीव आदि जिनमें कृषि, बागवानी, घरेलू पशु भी सम्मिलित है आते हैं।

(2) इस अधिनियम को क्रियान्वित करने हेतु केन्द्र स्तर पर ''राष्ट्रीय जैव विविधता परिषद'' राज्य स्तर पर ''राज्य जैव विविधता बोर्ड'' तथा स्थानीय निकाय स्तर पर अर्थात् जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम सभा/ग्राम पंचायत एवं नगर एवं नगर समूह स्तर पर **''जैव विविधता प्रबन्ध समिति** (Biodiversity Management Committee ) का गठन किया जाना है तथा लगभग इतनी ही संख्या में **लोक जैव विविधता दस्तावेज (People's Biodiversity Register)** बनाये जाने है। उत्तराखण्ड में अभी तक 486 जैव विविधता प्रबन्ध समितियों का गठन हो चुका है।

(3) कोई भी विदेशी नागरिक बिना भारत सरकार या राष्ट्रीय जैव विविधता परिषद की अनुमति से कोई भी जैविक पदार्थ या उसके प्रयोग से सम्बन्धित ज्ञान को भारत से बाहर नहीं ले सकता है और न ही उस ज्ञान का पेटेन्ट करा सकता है। भारत के नागरिकों को भी जैविक संपदा के विदोहन के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड एवं सम्बन्धित ''जैव विविधता प्रबन्ध समिति'' की अनुमति लेनी होगी।

(4) जिस स्थानीय निकाय या ग्राम सभा या राजस्व गाँव के क्षेत्र से जैविक संसधनों का दोहन होगा या किसी पारम्परिक ज्ञान का प्रयोग कोई करेगा तो उनसे होने वाली आय का कुछ अंश ''जैव विविधता प्रबन्ध समिति'' को जायेगा जो जैविक संपदा के संरक्षण, विकास व स्थानीय अन्य विकास कार्यो में प्रयोग किया जा सकता है।

(5) जैव विविधता प्रबन्ध समिति को उनके क्षेत्र में व्यापरिक प्रयोजन हेतु लिए जा रहे जैविक संसाधन को नियंत्रित करने व उस पर रायल्टी/फीस वसूल करने का भी अधिकार है।

(डा0 राकेश शाह)
सदस्य–सचिव,
उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड
उत्तराखण्ड